

सेवानियमावली  
उत्तरांचल (कृषि विभाग, समूह "क" पद सेवा नियमावली 1992)

**उत्तरांचल शासन**

कृषि एवं कृषि विषयन

अधिसूचना

०८ नवम्बर २००२ ई०

सं० १४००/कृषि/३(५)/२००२-युक्ति उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० की धारा ८७ वे अधीन सं० १४००/कृषि/३(५)/२००२-युक्ति उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० की धारा ८७ वे अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीक्षीय हों:

तथा युक्ति उ०प्र० कृषि (समूह "क" पद) सेवा नियमावली, १९९२ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० की धारा १६ वे अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है:

अन्त इ०, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० (अधिनियम संख्या २९, सन् २०००) की धारा ८७ के अधीन प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उ०प्र० कृषि (समूह "क" पद) सेवा नियमावली, १९९२ उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा:-

१. उत्तरांचल (उ०प्र० कृषि विभाग, समूह "क" पद सेवा नियमावली १९९२)

अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००२

१. संक्षिप्त शोषक एवं प्रारम्भ-

१. यह अदेश उत्तरांचल (उ०प्र० कृषि (समूह "क" पद) सेवा नियमावली, १९९२) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश

२००२ अहलायेगा।

२. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

२. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना-

उ०प्र० कृषि (समूह "क" पद) सेवा नियमावली, १९९२ में जहाँ-जहाँ पर शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है। तहाँ-वहाँ व शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जाय।

आज्ञा से

(बी०डी०पाण्डेय)  
सचिव।